

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प, कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी श्री. विद्या लाल शर्मा R.A.C

राज्य

उपनाम

अर्जुन

दावा बाबत:- डा. श्री. इन्द्रवर्मा शर्मा अथवा इन्द्रवर्मा शर्मा

मुकदमा नम्बर:- 66/09

निर्णय दिनांक:- 28.6.10

वादी की ओर से आशुतोष शर्मा की व प्रतिवादी की ओर से

को उपस्थिति में आज तारीख 28.6.10 को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम

निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - वादी का दावा ठीक नहीं

है। कोर्ट को बताया जाता है कि आशुतोष शर्मा द्वारा 2-12-10 को दावा पत्रों द्वारा कोटकासिम में वादी अपनी आशुतोष की प्रमाणित करवा। सुनार के अतिरिक्त आशुतोष में सुनार का नाम है तो उसे हटाया जावे। प्रतिवादी का दावा ठीक नहीं है। दावा ठीक नहीं है। वादी का दावा ठीक नहीं है। वादी का दावा ठीक नहीं है। वादी का दावा ठीक नहीं है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.6.10 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

विद्या लाल शर्मा R.A.C

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
4.रूपये पर प्लीडर के फीस		अर्जी के लिए स्टाम्प
5. साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय		प्लीडर के फीस
6. कमिश्नर की फीस		साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय
7. आदेशिका की तामिल		आदेशिका की तामिल
		कमिश्नर की फीस
जोड़		जोड़